

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड

गांधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005

फोन नः 0141-2228066, फैक्स नः 0141-2228065
CIN: U24232RJ2011SGC035067

ई-मेल: rmsc.supply2@gmail.com
Website: www.rmsc.health.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ.04()/आरएमएससी/सप्लाई/2025/158

दिनांक : 27/11/2025

आदेश

M/s GLOBELA PHARMA PVT LTD, 357-358, Sachin GIDC, Road No. 3, Surat-394230 Gujarat India को निम्न औषधि हेतु क्रयादेश जारी किये गये थे, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. स.	औषधि का नाम	निविदा क्रमांक	क्रयादेश क्रमांक/दिनांक	आदेशित मात्रा	आपूर्ति मात्रा	फर्म को दिये गये नोटिस का विवरण
1	Mercaptopurine Tab IP 50 mg [152]	NIB 03/2023-481	2384/26.06.2024 3314/29.07.2024 4793/08.10.2024	26400 40000 31700	0 5000 0	4026/21.12.2024

फर्म द्वारा निर्धारित समय में उक्त औषधि के जारी क्रयादेशों के विरुद्ध शून्य/50 प्रतिशत से कम आपूर्ति करने पर उक्तानुसार नोटिस जारी किया गया। प्रकरण को निगम की अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 28.10.2025 के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ रखा गया। फर्म को सुनवाई के लिए अवसर प्रदान किया गया जिसमें फर्म की ओर से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। अनुशासनात्मक समिति ने विचार-विमर्श कर पाया कि उक्त फर्म को नियमित रूप से तीन क्रयादेश जारी किए जाने के उपरान्त भी औषधि की शून्य/50 प्रतिशत से कम मात्रा आपूर्ति की गई है, जो राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम से हुए अनुबन्ध { निविदा शर्त संख्या 13(8) } का उल्लंघन है। निविदा की शर्त संख्या 13(8) निम्न प्रकार है—
“If the supplier fails to execute at least 50% of the quantity mentioned in single purchase order and such part supply continues for three consecutive purchase order, then the supplier will be ineligible to participate in any of the tenders for particular items of drug for a period of two year immediately succeeding year in which supplier has been placed purchase order”

निविदा की शर्त संख्या 13(8) के उल्लंघन के कारण अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 28.10.2025 में लिए गए निर्णय के आधार पर निर्माता फर्म M/s GLOBELA PHARMA PVT LTD 357-358, Sachin GIDC, Road No. 3, Surat-394230 Gujarat India की औषधि Mercaptopurine Tab IP 50 mg [Item code -152] को यह आदेश जारी होने की दिनांक से दो वर्ष के लिए विवर्जित (Debar) किया जाता है।

निगम द्वारा जारी पूर्व क्रयादेशों की आपूर्ति पर इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

Signature valid

Digitally signed by RajKaj Sen
Designation : Managing Director
Date: 2025.11.25 13:02 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
19021163

eSign 1.0



आई.एस.
प्रबन्ध निदेशक

क्रमांक : एफ.04()/आरएमएससी/सप्लाई/2025/158

दिनांक : 27/11/2025

निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
03. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, गुजरात।
04. मिशन निदेशक, एनएचएम जयपुर।
05. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससीएल, जयपुर।
06. निदेशक PH/RCH/HA/AIDS/MSH/IEC चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
07. Drug Controller General (India) New Delhi
08. औषधि नियंत्रक राजस्थान/गुजरात।
09. कार्यकारी निदेशक (गुणवत्ता नियंत्रण/प्रोक्योरमेंट/वित्त/लॉजिस्टिक्स), आरएमएससीएल जयपुर।
10. संयुक्त निदेशक (आई.टी.), आरएमएससीएल।
11. समस्त प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार गृह, राजस्थान जयपुर।
- 12 M/s M/s GLOBELA PHARMA PVT LTD 357-358, Sachin GIDC, Road No. 3, Surat-394230 Gujarat
- 13 गार्ड फाईल।

(पुखराज सेन)
आई.एस.
प्रबन्ध निदेशक

Signature valid
Digitally signed by Pu Khraj Sen
Designation : Managing Director
Date: 2025.11.25 17:13:02 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
19021163
eSign 1.0